न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 128 / 2020

प्रार्थीगण :–

1. श्रीमती मदनकंवर पत्नी राणा उर्फ राणसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राणाराम उर्फ राणसिंह वल्द डूंगरसिंह वगैरा (4)
6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री चिमनसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु एक वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत उपरान्त होने के बावजूद प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का कोई जबाव उजर एतराज पेश नहीं किया गया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **नेहरों का वास** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 सरहद मौजा नगर के खेत खसरा नम्बर 712 / 895 रकबा 24–01 बीघा खसरा नम्बर 712 / 896 रकबा 06–00 बीघा, का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गाठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति** में विवादित खसरा सरहद मौजा नगर के खेत खसरा नम्बर 712 / 895 रकबा 24–01 बीघा खसरा नम्बर 712 / 896 रकबा 06–00 बीघा भूमि के साम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500 /– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तामील जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:30:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक ...13.11.21...... को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **नेहरों का वास** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल)

क्रमांकः वाद / 2021 / 817

दिनांक : 23/11/21

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मदनकंवर		रूगाराम

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 128/20 निर्णय दिनांक :– 13/11/21

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 712/895 रकबा 25-01 खसरा नम्बर 712/896 रकबा 06-00 खसरा नम्बर ––– रकबा ––– खसरा नम्बर ––– रकबा ––– एवं खसरा नम्बर ––– रकबा ––– की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल

दिनांक : 23/11/21

क्रमांकः वाद / 2021 / 818-820

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी RGT
3. हल्का पटवारी नगर को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी मदनकंवर
5. विप्रार्थी रूगाराम उर्फ रूगाराम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:30:17 IST
Reason: Self Attested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल